रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 1982/कार्तिक 13, 1904
No. 326] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 1982/KARTIKA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1982
सं० 241/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 661(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट माल को, उसके स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से छूट देती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् --

सारणी

माल	निर्बन्धन और शर्तें	छूट की सीमा
1	2	3
ऐसा माल जिसका उत्पादन और विनिर्माण भारत में नहीं हुआ है और जिस पर भारत में उसके आयात के समय उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क संदत्त किया जा चुका है तथा जिनका निर्यात भारत के बाहर किसी वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों (जिनके अन्तर्गत सरचनात्मक क्रियाकलाप भी हैं) से संबंधित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी	परन्तु यह कि सीमाशुल्क के उचित अधिकारी का निम्नलिखित के सम्बन्ध में समाधान हो जाता है,— (1) माल की पहिचान, (2) इस आयात से पूर्व भारत के बाहर उनके निर्यात पर शुल्क की वापसी के लिए न तो कोई दावा किया गया है और न	(1) उस माल की दशा में, जिसके निर्यात के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन, नवीकरण, परिवर्धन या मरम्मत की गई है, उतना शुल्क प्रभारित किया जाएगा जितना तब उद्ग्रहणीय होता जब कि माल का मूल्य उस परिवर्तन, नवीकरण, परिवर्धन या मरम्मत की लागत के बराबर होता जो तब किए गए थे जब माल विदेश में था।

1	2	3
संविदा के निष्पादन के लिए किया जाता है।	उसे मंजूर किया गया है; (3) इस परियोजना या संविदा को भारतीय रिज़र्व बैंक का विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त है, (4) निर्यात और पुन: आयात के समय के बीच माल का स्वामित्व परिवर्तित नहीं हुआ है।	(2) अन्य दशाओं में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क।

[फा० सं० 469/1/81-सीमाशुल्क 5]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, 4th November, 1982

No. 241/82-Customs

G.S.R. 661 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (1) of the Table annexed hereto, from the payment of so much of the customs duty leviable thereon as is specified in column (3) of the said Table, subject to the limitations and conditions specified in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Goods	Limitations and Conditions	Extent of Exemption
Goods not produced or manufactured in India and on which the duty of customs leviable has been paid at the time of their importation into India and which are exported out of India for the execution of a contract approved by the Reserve Bank of India in connection with any commercial and industrial (including constructional) activities.	Provided that the proper officer of Customs is satisfied,— (1) as to the identity of the goods; (2) that no drawback of duty was claimed or paid on their export out of India prior to their present importation; (3) that the project or contract has a specific approval of the Reserve Bank of India; (4) that the ownership of the goods has not changed between the time of export and re-import.	(i) in the case of goods on which any alterations, renovations, additions or repairs have been executed subsequent to their export, so much of duty would be charged as is in excess of the duty of customs which would be leviable the value of the goods were equal to the cost of such alterations, renovations additions or repairs while the goods were abroad; (ii) in other cases, the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and the whole of the additional duty leviable thereon under Section 3 of the said Customs **Tariff Act, 1975.**

[F. No. 468/1/81-Cus. V]

सं० 242/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 662(अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 136 तारीख 11 मई, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

"उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 219 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां क्रमश: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

"220 सं० 241/82-सीमा शुल्क तारीख 4-11-82"

[फा० सं० 468/1/81-सी०शु० 5]

ए० सी० बक, अवर सचिव

No. 242/82-Customs

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 2 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136—Customs, dated the 11th May, 1982, namely :

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 219 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

"220 No. 241/82—Customs, dated 4-11-82 ".

[F. No. 468/1/81-Cus. V]
A.C. BUCK, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982